Phone & Fax:- 0135-2530487, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः 228/124 व्यघ–सामान्य/16 दिनांक 22/06/2020

कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या 858(एस0एस0)/2008 भास्कर प्रसाद त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2010 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण अनुभाग–4 के पत्रांक 555/23–4–19–56 जनरल/18 दिनांक 07.08.2019 के क्रम में प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ व्यवस्थापन घ वर्ग के पत्रांक 4436व्यघ/3492 व्यघ/19 दिनांक 28.11.2019 द्वारा श्री भास्कर प्रसाद त्रिपाठी, अवर अभियन्ता (सिविल) को लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में योगदान किये जाने हेतु दिनांक 29.11.2019 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री भास्कर प्रसाद त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा दिनांक 02.12.2019 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा दिनांक 03.12.2019 को इस कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी।

लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1812/III(1)/19–106(रि0या0)/08 दिनांक 30.12.2019 द्वारा श्री भास्कर प्रसाद त्रिपाठी, अवर अभियन्ता (सिविल) को उत्तराखण्ड राज्य में दी गयी योगदान आख्या को स्वीकार किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

श्री भास्कर प्रसाद त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 01/124 व्यघ–सामान्य/17 दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्रकरण लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 479/III(1)/20–106(रि0या0)/08 दिनांक 11.05.2020 द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण हेतु निर्देशित किया गया है कि "कनिष्ठ अभियन्ता के नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष है। अतः ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है"। तदोपरान्त सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण करने पर स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के पत्र दिनांक 06.01.1990 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र हेतु चयनित अवर अभियन्ता (सिविल) की चयन सूची में श्री भास्कर प्रसाद त्रिपाठी का नाम श्रेष्ठता क्रमांक 261 पर अंकित है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन के परामर्श पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक 585/ई0डी0/78 दिनांक 05.06.1991 द्वारा श्री त्रिपाठी की नियुक्ति अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर किये जाने एवं तत्क्रम में मुख्य अभियन्ता (कु0क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा श्री त्रिपाठी, अवर अभियन्ता (सिविल) की तैनाती अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत में किये जाने के फलस्वरूप श्री त्रिपाठी, अवर अभियन्ता (सिविल) द्वारा दिनांक 29.06.1991 को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार सम्यक् विचारोपरान्त श्री भास्कर प्रसाद त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का नाम इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 2927/07 व्यघ–सा0/09 दिनांक 08.10.2009 द्वारा निर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची (द्वितीय भाग) के क्रमांक 310 पर श्री जय सिंह खोलिया (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन सूची का श्रेष्ठता क्रमांक 226) एवं ज्येष्ठता क्रमांक 311 पर श्री धीरेन्द्र कुमार लोशाली (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन सूची का श्रेष्ठता क्रमांक 265) के मध्य निम्नवत् निर्धारित करते हुये अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित कर परिचालित की जाती है:–

ज्येष्ठता क्रमांक	नाम (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	जाति	विभाग में नियुक्ति की तिथि	टिप्पणी
310	जय सिंह खोलिया	कुशाल सिंह खोलिया	05.09.1960	सामान्य	20.08.1990	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा जारी चयन सूची का श्रेष्ठता क्रमांक 226
310 ए	भास्कर प्रसाद त्रिपाठी	जर्नादन त्रिपाठी	05.07.1962	सामान्य	05.06.1991	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा जारी चयन सूची का श्रेष्ठता क्रमांक 261
311	धीरेन्द्र कुमार लोशाली	तुषार राम लोशाली	15.10.1962	सामान्य	30.08.1990	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा जारी चयन सूची का श्रेष्ठता क्रमांक 265

क्रमशः 02 पर/–

अतः कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.10.2009 द्वारा प्रख्यापित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची (द्वितीय भाग) में अंकित कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त के फलस्वरूप यदि किसी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे अपना प्रत्यावेदन इस पत्र के निर्गत होने के पन्द्रह (15) दिनों के भीतर उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नही होंगे और उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदन पर ही सम्यक रूप से विचार करते हुए ज्येष्ठता सूची पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

ह0
(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि क्षेत्रीय/वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत सभी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के मध्य यह सूची परिचालित (सर्कुलेट) करा दें एवं उनका इकनॉलेजमेन्ट प्राप्त कराकर उनको व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रख दें। कृपया यह प्रमाण–पत्र भी दिया जाय कि समस्त सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को इस ज्येष्ठता सूची का संज्ञान ला दिया गया है।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, ...।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,.................................वां वृत्त, लो0नि0वि0, ...।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ...खण्ड, लो0नि0वि0, ...।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
5. प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर संघ, लोक निर्माण विभाग।

ह0 19/6/2020
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
17/06/2020